

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 374/2024

अनवान : -

1. गणेश सिंह चारण पुत्र माल दान चारण जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
  2. राम सिंह चारण पुत्र मालदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
- वादीगण

बनाम्

1. मालदान पुत्र भूरदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
2. ओमकवर पुत्री मालदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 10/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 123/124 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 6.3360 है0 भूमि व रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 136/132 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 83.1700 है. भूमि मे से 30069/116980 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 एंव प्रतिवादी सं. 2 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 का हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादीगण संख्या 1 ता 2 की बहिन है व प्रतिवादी संख्या 1 कि पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा मुताबीक पारिवारीक समझोता अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयो व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। जिसके पश्चात् मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 123/124 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 6.3360 है0 भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब.हि.ब काबिज है व रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबदी सम्बत 2073-2076 के खाता संख्या 136/132 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 83.1700 है. भूमि में से 30069/116980 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर



वादीगण ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 123/124 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 6.3360 है० भूमि व रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 136/132 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 83.1700 है। भूमि मे से 30069/116980 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर

किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 123/124 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 6.3360 है 0 भूमि में मालदान पुत्र भूरदान का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब का के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 136/132 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 83.1700 है। भूमि में से 30069/116980 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 374/2024

अनवान : -

1. गणेश सिंह चारण पुत्र माल दान चारण जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
2. राम सिंह चारण पुत्र मालदान जाति चारण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. मालदान पुत्र भूरदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
2. ओमकवर पुत्री मालदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 374 सन 2024 निर्णय दिनांक - 10/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 123/124 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 6.3360 है0 भूमि में मालदान पुत्र भूरदान का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब का के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मोजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 136/132 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 83.1700 है. भूमि में से 30069/116980 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर